



दिनांक: 26-10-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मामलों में फरार चल रहे 04 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में 04 शातिर वांछित अभियुक्तगण 1- फिरोज पुत्र जहीर उर्फ जरीफ नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 2- राहुल पुत्र रमेश नि0 ग्राम बेलडी सालापुर थाना सिविल लाइन रुडकी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड), 3- जाहिद पुत्र तरीफ उर्फ तरीक उर्फ वरीस उर्फ जरीफ नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) व 4- नाजिल पुत्र महबूब नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) को सम्बन्धित मु0अ0सं0-231/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी में जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1- फिरोज पुत्र जहीर उर्फ जरीफ नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार
- 2- राहुल पुत्र रमेश नि0 ग्राम बेलडी सालापुर थाना सिविल लाइन रुडकी जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
- 3- जाहिद पुत्र तरीफ उर्फ तरीक उर्फ वरीस उर्फ जरीफ नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार
- 4- नाजिल पुत्र महबूब नि0 ग्राम बढेडी थाना बहादुराबाद जनपद हरिद्वार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फिरोज पुत्र जरीफ उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 - 231/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 06/24 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 02/24 धारा- 379/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राहुल पुत्र रमेश उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 - 231/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 06/24 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 02/24 धारा- 379/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 297/20 धारा- 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सालापुर कोतवाली रुडकी हरिद्वार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जाहिद पुत्र जरीफ उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 - 231/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 06/24 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0- 02/24 धारा- 379/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नाजिल पुत्र महबूब उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 - 231/24 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0- 06/24 धारा- 379/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0सं0- 02/24 धारा- 379/411 भादवि थाना नागल जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री अनिल कुमार तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. उ0नि0 श्री शाहनवाज अहमद थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
7. उ0नि0 श्री चंचल कुमारी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
8. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
9. है0का0 629 धर्मेन्द्र कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
10. का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
11. का0 464 शोभित कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
12. का0 645 प्रमोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को ग्राम चढ़ाव के जंगल से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 15.60 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 383/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त शहजाद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं 10 वीं पास हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। अपना खाने पीने का शौक पूरा करने के लिए मैं नशीले सामान का कारोबार करता हूँ। इस काम में मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शहजाद पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम नवाजपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

15.60 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 486 जावेद तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26-10-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. मुर्सलीन पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम रानामाजरा सनोली पानीपत हरियाणा व 2. अफसर पुत्र असगर निवासी ग्राम रानामाजरा सनोली पानीपत हरियाणा को नकुड़ रोड़ बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0-477/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया कि हम लोग नशे के आदी हैं, अपने शौक को पूरा करने के लिये स्मैक को बेचने का काम करते हैं। स्मैक बेचकर जो पैसे कमाते हैं, उस हम लोग घूमने फिरने व अपनी मौज मस्ती पर खर्च कर देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुर्सलीन पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम रानामाजरा सनोली पानीपत हरियाणा
2. अफसर पुत्र असगर निवासी ग्राम रानामाजरा सनोली पानीपत हरियाणा

बरामदगी का विवरण-

➤ 21 ग्राम अवैध स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 404 मनीष कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 2552 रक्षित चहल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 09 बोतल (750ML), 30 अर्धे (375ML) व 51 पच्चे (180ML) अंग्रेजी शराब नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्माराम निवासी लालता प्रसाद की मंडी वाली गली, खलासी लाइन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर को लालता प्रसाद की मण्डी वाली गली से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से 09 अदद बोतल (750ML), 30 अर्धे (375ML) व 51 पच्चे (180ML) अंग्रेजी शराब बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 624/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जो थाना सदर बाजार का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू उपरोक्त ने बताया कि मैं पूर्व में भी शराब बेचने के मामले में जेल जा चुका हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और पैसों की तंगी चल रही है। जिस कारण मैं शराब को खरीद कर अपने पास इकट्ठा कर लेता हूँ और रात्री में ठेके बंद हो जाने के बाद प्रिन्ट रेट से अधिक दाम में नशा करने वाले लोगों को बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

राजकुमार उर्फ राजू पुत्र आत्माराम नि0 लालता प्रसाद की मंडी वाली गली, खलासी लाइन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 43/2007 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना सदर बाजार स0पुर
2. मु0अ0सं0 280/2007 धारा 3/4 जुआ अधि0 थाना सदर बाजार स0पुर
3. मु0अ0सं0 418/2007 धारा 2/3 गैंग स्टर एक्ट थाना सदर बाजार स0पुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 09 अदद बोतल (750ML), 30 अर्धे (375ML) व 51 पच्चे (180ML), अंग्रेजी शराब नाजायज भिन्न-भिन्न ब्रांड की बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री शैलेंद्र कुमार आबकारी विभाग, स0पुर
2. निरीक्षक श्री राजकमल सिंह आबकारी विभाग, स0पुर
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
4. है0का0 रविकान्त आबकारी विभाग, स0पुर
5. है0का0 पप्पू सिंह आबकारी विभाग, स0पुर
6. है0का0 राजेश कुमार आबकारी विभाग, स0पुर
7. है0का0753 अमरपाल थाना सदर बाजार, स0पुर
8. का0947 शान्तनू थाना सदर बाजार, स0पुर



दिनांक: 26.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर आपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.10.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी **अभियुक्त राशिद कुरैशी पुत्र रशीद निवासी मौ० पैठ चौक कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को संबंधित वाद सं० 96/2004 व मु०अ०सं० 127/04 धारा 60 आबकारी अधि० चालानी थाना नानौता (मा० न्यायालय एसीजेएम(जेडी)/जेएम देवबंद सहारनपुर में मौहल्ला पैठ चौक कस्बा नानौता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

राशिद कुरैशी पुत्र रशीद निवासी मौ० पैठ चौक कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. का० 903 कुलदीप कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. हो०गा० 2015 श्याम सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.10.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 03 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्तगण 1. पंकज पुत्र गेन्दा राम निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद सं0 1033/11 धारा 323/452/324/504/506 भादवि मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत नियत दिनांक 29.11.2024 में, 2. सबदर पुत्र इरफान उर्फ फाना निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1480/15 मु0अ0सं0 356/14 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द नियत दि0 07.11.2024 व वाद सं0 299/19 मु0अ0सं0 305/13 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट चालानी थाना देवबन्द मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द सहारनपुर द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू नियत दिनांक 11.11.2024 में थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. पंकज पुत्र गेन्दा राम निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2. सबदर पुत्र इरफान उर्फ फाना निवासी ग्राम लबकरी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 के0पी सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 2- हे0का0 274 रवि तोमर थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
- 3- हे0का0 341 विपिन कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर



दिनांक: 26.10.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर पुलिस द्वारा लम्बे समय से फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.10.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा लम्बे समय से फरार चल रहे **01 वारण्टी अभियुक्त नफीस पुत्र हकीमुद्दीन निवासी पूठ खास थाना रोहटा जिला मेरठ** को सम्बन्धित वाद संख्या 998/19 व मु0अ0सं0 0128/2013 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर, वाद संख्या 997/19 व मु0अ0सं0 129/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर व वाद संख्या 999/19 व मु0अ0सं0 0123/2013 धारा 392/342/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सहारनपुर नियत तिथि 06.11.2024 में ग्राम पूठखास जनपद मेरठ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तारी वारंटी अभियुक्त:-

नफीस पुत्र हकीमुद्दीन निवासी पूठ खास थाना रोहटा जिला मेरठ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री जसबीर सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर
3. का0 1799 रोहित राणा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर